भाग–।।
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

2. परियोजना/स्कीम का स्थान – जनपद चम्पावत में हल्द्वानी वन प्रभाग के अन्तर्गत राजि के अन्तर्गत शारदा टापू

i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	– उत्तराखण्ड
ii)	जिला	– चम्पावत
iii)	वन प्रभाग	– हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	– 384.69 हैक्टे0
v)	वन की कानूनी स्थिति	– आरक्षित वन
vi)	हरियाली का घनत्व	– 0.2 से 0.05
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	– प्रस्तावित वास्तविक खनन क्षेत्र वृक्ष विहीन है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन–शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	वर्षा काल में नदी तल में उपखनिज का अधिक मात्रा में एकत्र होने से नदी के बीच का भाग ऊंचा होने के कारण समीपवर्ती क्षेत्र में भू–कटाव की रोकथाम के लिये नदी से उपखनिज का चुगान करना उचित होगा (भू वैज्ञानिक की रिर्पोट संलग्न है।)
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	– नदी तट से लगी वन सीमाएं।
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य – जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	शिवालिक एलिफैन्ट रिजर्व के अन्तर्गत घोषित है।
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	– नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेंत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	– नहीं

8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। – अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

9– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉं/नहीं) यदि हॉं, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। – नहीं

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–

क– प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार। – संलग्न हैं।

ख–प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। – संलग्न हैं।

ग– रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। – संलग्न हैं।

घ– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

ड़– प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। – संलग्न हैं।

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) – संलग्न हैं।

12– प्रभाग/जिला प्रोफाइल

i.	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	– जिला चम्पावत 200.40 वर्ग कि0मी0
ii.	जिला का वन क्षेत्र।	– 124755.25 वर्ग कि0मी0
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	– 384.69 हैक्टे0
iv.	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	–
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित– वन भूमि	– रिक्त
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	–
V	वर्तमान तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	– रिक्त
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	– रिक्त

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। – प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित।

दिनांक 07-03-2022

स्थान हल्द्वानी

हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी